- (b) if so, the facts thereof; and
- (c) what effective measures are proposed to be taken to put an end to this menace?

FINANCE THE MINISTER OF AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c). Customs Department has the requisite arrangements and expertise for checking the correctness of export values. Although there have been some cases where under-valuation of exports has been detected by the Calcutta Custom House in the past few years and these cases have been dealt with under the law, there is nothing to indicate that crores of rupees in foreign exchange have been lost as a result of continued under-invoicing of exports Calcutta.

Effect of Import Policy on Industry

2925. SHRI PRASANNBHAI MEH-TA: Will the Minister of COM-MERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

- (a) whether the new import policy has not helped the growth of Industry in the country to its expectations;
 - (b) if so, the reasons therefor; and
- (c) whether any modifications are being considered?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHA-RIA): (a) to (c). It is too early to assess the impact of new Import Policy on the growth of the industry. Besides, import policy is one of the various elements of the industrial development strategy. An evaluation of the import policy will be undertaken in due course when the modifications, which appear necessary in the light of experience, will be considered.

राज्य ब्यापार निगम द्वारा इंज्रोतियरिंग फर्नो को भ्रायातित सामग्री उप-लब्ब कराना

2926. श्री मीठा लाल पटेल: क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रीर सहकारिता मंत्री यह बताने की कृया करेंगे कि:

- (क) क्या राज्य व्यापार निगम समय पर इंजीनियरिंग फर्मों को अपेक्षित आयातित सामग्री उपलब्ध नहीं कर पाती और क्या फर्मों ने यह मांग की है कि उन्हें स्वयं ही सीधे आयात की अनुमति दी जाये; और
- (ख) यदि हां, तो उनकी मांग के बारे में राज्य व्यापार निगम ग्रथवा सरकार को क्या ग्रापत्ति है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सह-कारिता मंत्री (श्री मोहन षारिया): (क) भौर (ख). राज्य व्यापार निगम इंजीनिय-रिंग फर्मों को कच्चे माल की सप्लाई करने का कार्य नहीं करता । परन्तु राज्य व्या-पार निगम का एक ग्रनुषंगी निकाय राज्य रसायन ग्रीर ग्रीषधि निगम इंजीनियरिंग एवं धातकर्मी उद्योगों को कतिपय रासा-यनिक मदें सःलाई करता है । ग्रायात नीति सें ऐसें ग्रावश्यक उपबन्ध हैं कि जब कभी कोई मार्गीकरण प्रिक्षकरण क्रमिक सूपूर्वगी कार्यक्रम के ग्रनुसार, जो ग्रापस में तय हो, म्रथवा पंजीकरण की तारीख से 6 महीनों की ग्रवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, कच्चे माल की सप्लाई का प्रबन्ध करने की की स्थिति में हो, तो वास्तविक उपभोक्ता सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी से भपे-क्षित कच्चे माल के सीधे ग्रायात की मन्मति देने के लिए मनुरोध कर सकता है ।